न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, बगोदर–सरिया (गिरिडीह)

दाखिल खारिज अपील वाद संख्या–13/2020–21

मीना शर्मा .... प्रथम पक्ष

बनाम्

झारखण्ड सरकार एवं अन्य .... द्वितीय पक्ष

आदेश

आवेदिका मीना शर्मा, पति– शक्ति शर्मा, साकिन– बगोदर, थाना– बगोदर, जिला– गिरिडीह द्वारा समर्पित आवेदन के आलोक में अंचल अधिकारी, बगोदर द्वारा दाखिल–खारिज वाद संख्या **216 R27/2018-19** में पारित आदेश के विरूद्ध अपील वाद की कार्यवाही प्रारम्भ किया गया है। जिसका जमीन संबंधी विवरण निम्नवत् है :–

मौजा	थाना नं0	खाता नं0	प्लॉट नं0	रकवा
बगोदर	107	291	1580	10 डी0

अभिलेख में संलग्न अंचल कार्यालय बगोदर के दाखिल खारिज वाद संख्या **216 R27/2018-19** में दिनांक 20.06.2019 को पारित आदेश में उल्लेख किया गया है कि हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर आवेदक द्वारा ऑनलाईन म्यूटेशन आवेदन के साथ खतियान की प्रति संलग्न नहीं किया गया है और न ही खतियान की प्रति कार्यालय में जमा किया गया है बिना खतियान के दाखिल खारिज नामांतरण वाद को अस्वीकृत किया गया है। अपीलार्थी द्वारा न्यायालय में खतियान की सत्यापित प्रति उपलब्ध कराया गया है।

तद्नुसार अंचल अधिकारी, बगोदर को remand किया जाता है। आदेश दिया जाता है कि उक्त वाद में पुनः नये सिरे से सुनवाई करते हुए समुचित आदेश पारित करेंगे। आवेदक पुनः ऑनलाईन आवेदन कर सभी document को upload करेंगे।

लेखापित एवं संशोधित।

11/11/20
भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता
बगोदर–सरिया (गिरिडीह)

11/11/20
भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता
बगोदर–सरिया (गिरिडीह)